

न्यायालय प्रथम अपील प्राधिकारी जिला कलक्टर बाड़मेर

सूचना अधिकार अपील/96/2021

अपीलांत शेषकरण सिंह पुत्र खानुसिंह राजपुरोहित
निवासी 409बी. त्रिवेणी अपार्टमेंट, शिव सेना गली, पोद्दार हाई स्कूल के पास, पोस्ट भायन्दर
(पश्चिम) जिला थाना, महाराष्ट्र 401101

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी बालोतरा

आदेश

दिनांक : 22.12.2021


अपीलार्थी शेषकरण सिंह पुत्र खानुसिंह राजपुरोहित निवासी 409बी. त्रिवेणी अपार्टमेंट, शिव सेना गली, पोद्दार हाई स्कूल के पास, पोस्ट भायन्दर (पश्चिम) जिला थाना, महाराष्ट्र 401101 ने यह प्रथम अपील उत्तरदाता उपखण्ड अधिकारी बालोतरा के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(1) के अन्तर्गत इस कार्यालय में दिनांक 29.11.2021 को प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी द्वारा अधिनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र व्यक्तिशः उपस्थित होकर/पंजीबद्ध डाक द्वारा प्रस्तुत कर उनके कार्यालय से सम्बन्धित सूचना चाही गई। राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर वांछित सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है, फलस्वरूप यह प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है। अपील के संलग्न राज्य लोक सूचना अधिकारी को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की प्रति एवं शुल्क रुपये 10/- का पोस्टल ऑर्डर संख्या 667875 दिनांक 04.10.2021 का प्रतिपण संलग्न किया गया है।

अपीलार्थी की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट राज्य लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी बालोतरा को जरिये नोटिस मय अपील की प्रति भिजवाते हुए टिप्पणी रिपोर्ट चाही गई। रेस्पोंडेंट द्वारा निर्धारित सुनवाई तिथि को अपने पत्र पत्र क्रमांक 5675 दिनांक 22.12.2021 के द्वारा टिप्पणी प्रस्तुत कर प्रकट किया है कि अपीलांत द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में अतिक्रमियों के खिलाफ बेदखली के आदेश पारित किये जा चुके हैं तथा भौतिक रूप से बेदखली की कार्यवाही प्रस्तावित है। लिहाजा अपील दाखिल दफ्तर फरमाई जावें।

हमने अपीलांत की अपील, रेस्पोंडेंट की ओर से प्रस्तुत जवाब एवं अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलांत को जारी पत्राचार का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी के जवाब एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के अवलोकन से पाया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना पर रेस्पोंडेंट द्वारा कार्यवाही की जा रही है। अतः रेस्पोंडेंट के जवाब का अपील मीमो के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन एवं विवेचन उपरांत अपीलार्थी की यह अपील सारहीन एवं आधारहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः अपीलांत की यह अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित हो।

आदेश आज दिनांक 22.12.2021 को न्यायालय में सुनाया गया।


प्रथम अपील प्राधिकारी
जिला कलक्टर बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

